


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित विद्यालयों के लिए आहरण वितरण अधिकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 03 (ए) के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, में निम्नांकित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं.	जारी आदेश की दिनांक	जारी आदेश की क्र.सं.	जारी आदेश की कॉलम संख्या	संशोधन
1	05.07.16 (सूची संख्या 1 कुल विद्यालयों के नाम 20)	6	3	श्री हेतन्त कुमार भट, व्या. आदर्श राउमावि, झोसावा झूंगरपुर के स्थान पर श्री हेमन्त कुमार भट्ट व्या. आदर्श राउमावि, झोसावा झूंगरपुर संशोधित पढा जावे ।
2	05.07.16 (सूची संख्या 2 कुल विद्यालयों के नाम 28)	6	3	श्री शिवप्रताप विश्नोई, व्या. राउमावि, ठाडिया, जोधपुर के स्थान पर श्री शिवप्रताप विश्नोई, व्या. राउमावि, शेरगढ, जोधपुर संशोधित पढा जावे ।

शेष विवरण मूल आदेशानुसार यथावत रहेगा ।


वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,


बीकानेर

दिनांक: 12/7/2016

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-स/34180/संशोधन/16-17

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, जयपुर
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित संस्था प्रधान
4. सम्बन्धित कोष/उपकोष
5. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।



लेखाधिकारी,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,

बीकानेर